न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

सिविल प्रकरण संख्याः– 39/2023 तारीख रजू 13.06.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पश्चिम मध्य रेलवे कोटा।
..........आवेदक

बनाम

1. यतीश सक्सैना पुत्र श्री प्रहलाद सक्सेना, वेण्डर ऑफ मैसर्स सत्य नारायण शर्मा फूड स्टॉल नं02 प्लेटफार्म नं. 2/3 सवाई माधोपुर जं–322001 (खाद्य कारोबारकर्ता)
2. मैसर्स सत्य नारायण शर्मा फूड स्टॉल नं.02, पीएफ नं.2/3, सवाई माधोपुर जं.–322001 (फर्म/लाइसेंसी)
3. हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा, अधिकृत व्यक्ति फर्म मैसर्स सत्य नारायण शर्मा फूड स्टॉल नं.02, पीएफ नं.2/3, सवाई माधोपुर जं.–322001 (अधिकृत व्यक्ति)
4. Shiv Edibles Ltd. Spl. Plot No. 1&2, RIICO Agro food park Vill-Ranpur, Jhalawar Road, Kota (Raj.)-324005 (निर्माता कम्पनी)
5. Himanshu Sharma s/o Shri Vinod Kumar Sharma Nominee of Shiv Edibles Ltd. Spl. Plot No. 1&2, RIICO Agro food park Vill-Ranpur, Jhalawar Road, Kota (Raj.)-324005 (नोमिनी)
   घर का पताः– हिमांशु शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा, एफ–46, चम्बल कोलोनी, गुमानपुरा, कोटा (राज.)–324007

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स–2011

निर्णयः– दिनांक 08/08/2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी पश्चिम मध्य रेल जबलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री ओम प्रकाश राठौर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 19.07.2022 को समय 10.15 बजे मैसर्स सत्य नारायण शर्मा फूड स्टॉल नं.02, पीएफ नं.2/3, सवाई माधोपुर जं./प.म.रे. का निरीक्षण किया जहां पर खाद्यकारोबारकर्ता यतीश सक्सेना खाद्य पदार्थ "Sadabahar Refined Soyabean Oil" की बिक्री कर रहे थे, को अपना परिचय दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय के लिए रखे खाद्य पदार्थ "Sadabahar Refined Soyabean Oil" में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से लगभग 1–1 लीटर की क्षमता के कुल 04 शील्ड पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत 720/– रूपये विक्रेता को नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता [illegible] तथा उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर आवेदक ने [illegible] फार्म सं0 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को [illegible] सुनाकर एवं समझाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:49:06 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक द्वारा खरीद शुदा खाद्य पदार्थ "Sadabahar Refined Soyabean Oil" 04 लीटर शील्डशुदा पैकेट्स को जो कि 1–1 लीटर क्षमता के थे, पैक्ड् अवस्था में 4 प्लास्टिक जार में 1–1 शील्ड पैकेट्स को रखकर पैक किया गया। इसके पश्चात् नमूने का लेबल तैयार कर लेबल पर आवेदक एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह बनवारी लाल मीना के हस्ताक्षर किये। अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के कोड एवं कमांक डब्ल्यूसीआर/915–933 दर्ज किया। इसके पश्चात लेबल को प्रत्येक पार्ट पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी पेपर में लपेट कर किनारे गोंद से चिपकाए इसके पश्चात अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप जिसका कोड एवं स्लिप नं. डब्ल्यूसीआर/915–933 नीचे से उपर तक प्रत्येक पार्ट पर गोंद से चिपकायी तथा प्रत्येक पार्ट को धागे से बांधकर नियमानुसार चार सील चपड़ी की, प्रत्येक पार्ट के उपर–नीचे, दांये–बांए लगायी गयी। इसके बाद प्रत्येक पार्ट पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप एवं रेपर दोनो पर आए तथा आवेदक ने प्रत्येक पार्ट पर हस्ताक्षर किये। नमूना लेकर चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सम्पूर्ण कार्यवाही का मौका फर्द रिपोर्ट तैयार किया गया जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता यतीश सक्सेना गवाह एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। शेष तीन भाग सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की 3 प्रतियों के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के पत्र कमांक पमरे/एचक्यू/एच/एच 0602/एफएसएसए दिनांक 27.09.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2435/एक्ट/2022/2470 दिनांक 29.07.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ "Sadabahar Refined Soyabean Oil" खाद्य पदार्थ का नमूना Misbranded पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने Misbranded खाद्य पदार्थ Sadabahar refined Soyabean Oil का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण का जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभय पक्ष सुनी गई।

आवेदक ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ "Sadabahar Refined Soyabean Oil" मिसब्राण्डेड प्रकृति का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:49:06 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

धारा 26 उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त ने प्रस्तुत जबाव को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त से **खाद्य पदार्थ** **"Sadabahar Refined Soyabean Oil"** का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा मिसब्राण्डेड प्रकृति का माना गया है। जिसमें न्यूट्रिशन इन्फोर्मेस दी गई थी लेकिन उसका प्रतिशत कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होने के कारण मिसब्राण्ड आया है। जिसका वर्तमान में सुधार कर लिया गया है। अन्त में अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में गलती स्वीकार करते हुए न्यूनतम जुर्माना लगाते हुए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2435/एक्ट/2022/2470 दिनांक 29.07.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** "Sadabahar Refined Soyabean Oil" मिसब्राण्डेड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में जुर्म स्वीकार किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्डेड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** "Sadabahar Refined Soyabean Oil" का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 5 पर संयुक्त रूप से 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **08.08.25** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:49:06 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर